Available online at http://www.nrjp.co.in

Journal of Management Science, Operation & Strategies, e ISSN 2456-9305
Vol. 6, Issue, 02. 61-63p, May-August, 2022

National Research & Journal Publication

Review Article

कैसे रूके मौसमी प्रवासी श्रमिकों का पलायन ?

डॉ. विनय कुमार गुप्ता
पूर्व एसोसियट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष वाणिज्य विभाग
उपाधि (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, पीलीभीत

राजन यादव
'शोध छात्र
उपाधि (स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, पीलीभीत

सारांश

ग्रामीण क्षेत्रों का कृषि आधार वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को स्थायी रोजगार प्रदान नहीं करता है। वरन् क्षेत्रीय विकास में असमानता के साथ–साथ लोगों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करती है। शैक्षणिक सुविधाओं की कमी के कारण विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण लोगों को शहरी क्षेत्रों में किसी न किसी लोभ के चलते स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता और अंतरजातीय संघर्ष के कारण भी लोग अपने घरों से दूर चले जाते हैं। पिछले वर्षो में अस्थिर परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या मौसमी श्रमिक रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास कर चुके है। एक मौसमी श्रमिक को बिशेषकर गरीबी और रोजगार के अवसरों की कमी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करती है। मौसमी श्रमिक प्रायः अल्पकाल में अधिक आय, उचित स्वास्थ्य एवं वित्तीय सेवाओं का लाभ एवं बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में अल्पावधि के आधार पर भी पलायन करते है।

महत्वपूर्ण शब्द– *मौसमी, श्रमिक, रोजगार, पलायन, आय, अर्थव्यवस्था विकास।*

Copyright©2022, डॉ. विनय कुमार गुप्ता राजन यादव *This is an open access article for the issue release and distributed under the NRJP Journals License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.*

परिचय

मौसमी श्रमिकों का होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। देश के विभिन्न राज्यों में विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों से संबधित कई छोटे और मध्यम उद्योगों में सस्ते श्रम प्रदान करके ये मौसमी श्रमिक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। एक आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सन 2011 से 2021 के बीच सालाना अंतर्राज्यीय मौसमी श्रमिक का पलायन लगभग 9 मिलियन था। भारत का राजनीतिक वर्ग मौसमी आधार पर पलायन करने वाले श्रमिकों विशेष रूप से अंतर्राज्यीय श्रमिकों की समस्याओं को अनदेखा करता है क्योंकि वह उन्हें वोट बैंक के रूप में नहीं गिनता है। ऐसे श्रमिकों की अस्थिरता के कारण उन्हें सम्बन्धित ट्रेड यूनियन भी कोई महत्व नहीं देती है। प्रायः ऐसे श्रमिकों के पास उचित दस्तावेजों का अभाव पाया जाता है, जो उनकी स्थिति को और अधिक कमजोर बना देती है जिससे सम्बन्धित स्थानों के अधिकारी एवं पुलिस द्वारा उनका प्रायः उत्पीड़न किया जाता है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक मुद्दे– मौसमी उद्योगों मे काम करने वाले मौसमी प्रवासी श्रमिक अस्थायी घरों जो कि प्रायः झोपड़ीनुमा अथवा टीनशेड के रूप में होते है उनमें निवास करते है। कहीं –कहीं पर इन्होनें रहने के लिए अवैध बस्तियों का भी निर्माण कर लिया है। ऐसे श्रमिक न तो अपने घरों में अपनी परिस्थितियों में सुधार करने और अधिक बचत करने में सक्षम होते है और न हीं उस स्थान पर आराम से रहने के लिए पर्याप्त बचत कर पाते है जहाँ वे काम करते है। ऐसी स्थिति में उनको सांस्कृतिक मतभेद, भाषा संबधी बाधाएं, समाज

से अलगाव, मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मौसमी प्रवासी श्रमिक बहुत कम ही है जिन्हें उनके कानूनी एवं आर्थिक अधिकारों के बारे में पता है। साथ ही बहुमत वर्ग के नागरिक भी पीड़ित वर्ग की दुर्दशा के प्रति उदासीन रहते है। नौकरी के अवसरों को सीमित करने के कारण प्रवासियों को नाराजगी का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि सम्बन्धित राज्य के लोग ऐसे श्रमिकों की मौजदूगी को वर्तमान नौकरियों पर अतिक्रमण के रूप में देखते है।

आर्थिक मुद्दे– मौसमी प्रवासियों को निर्माण, होटल, कपड़ा, विनिर्माण, परिवहन सेवाएं, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग इत्यादि अनौपचारिक नौकरियों को करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस तरह की नौकरियां अधिक जोखिमपूर्ण एवं कम वेतन वाली होती है। ऐसे श्रमिकों के स्वास्थ्य सेवाओं तक उचित पहुंच न होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चूंकि वे निजी अस्पतालो का खर्च नहीं उठा सकते है। इसलिए वे अक्सर बीमार पड़ने के बाद अपने गांवों को वापस लौट जाते है। इससे उन्हें रोजगार के अवसर के साथ–साथ मजदूरी का भी नुकसान होता है।

बड़ी संख्या में प्रवासियों को अकुशल मजदूरों के रूप में काम मिलता है क्योंकि वे बहुत कम उम्र में नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश करते है और अपने पूरे जीवन काल के लिए सबसे अकुशल, कम भुगतान वाली और अधिक जोखित वाली नौकरियों में फंस जाते है। एक असंगठित और अराजक श्रम बाजार में प्रवासी श्रमिकों को नियमित रूप से कार्यस्थल पर विवादों का सामना करना पड़ता है। प्रवासी श्रमिकों द्वारा सामना किये जाने वाले आम मुद्दों में मजदूरी का भुगतान न किया जाना, शारीरिक दुर्व्यवहार और दुर्घटनाएं शामिल है।

मौसमी प्रवासी श्रमिकों का भविष्य– यदि किसी राज्य से प्रवासी मौसमी श्रमिकों को जाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उद्योग अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता खो देगें। क्यों श्रम लागत में उल्लेखनीय वृद्वि होगी। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित राज्यों को भी स्थानीय लोगों की उच्च भर्ती की बजाय रोजगार को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक उचित और समग्र नीत एवं नियमों का पालन करना होगा। कार्यस्थलों पर श्रम कानूनों का प्रर्वतन और व्यापक कानून का अधिनियमन किया जाना चाहिए। अंतर्राज्जीय प्रवासी मौसमी श्रमिक अधिनियम समेत मौजूदा श्रम कानूनों का कठोर प्रर्वतन आवश्यक है। प्रवासी श्रमिकों के लिए पूरे भारत में श्रम बाजार को विभाजित किया जाना चाहिये और कार्यकाल की सुरक्षा के साथ एक अलग श्रम बाजार विकसित किया जाना चाहिये। प्रवासी मौसमी श्रमिक आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सके इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें पहचान पत्र जारी किया जा सकता है। ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करने के लिए छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। बुनियादी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रवासित परिवारों को गंतव्य क्षेत्रों में नागरिक अधिकार मुहैया कराया जाना चाहिये जिससे गरीबों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लाभ और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पुहंच सके और इन सभी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख नीति की आवश्यकता होगी। प्रवासी मजदूरों की शिक्षा तक पहुॅच सुनिश्ति करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विशेष नीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें संगठित क्षेत्रों में शामिल करने के लिए कौशल विकास को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पंचायतों को अपने क्षेत्र में रहने वाले मौसमी प्रवासी श्रमिकों के लिए संसाधन पूल के रूप में उभरना चाहिए। ऐसे मौसमी एवं प्रवासी श्रमिकों को एक रजिस्टर बनाकर उनके पहचान–पत्र इत्यादि का उल्लेख उसमें करना चाहिए, साथ ही सम्बन्धित अधिकारियों का भी यह दायित्व है कि वे अपने स्थान पर मौसमी प्रवासी श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहिए।

प्रवासी श्रमिकों के समर्थन में कानून– भारत सरकार ने समय–समय पर विभिन्न अधिनियमों को लागू किया है–

अंतर्राज्जीय प्रवासी श्रमिक रोजगार और उनकी सेवा शर्त विनियमन अधिनियम 1979,

बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986,

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक रोजगार एवं सेवा शर्तो का विनियमन अधिनियम 1996,

असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008,

अनुबंध श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम 1970,

संवैधानिक प्रावधान–

भारत का सभी नागरिकों के लिए आंदोलन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मुक्त प्रवासन के आधारभूत सिद्वांत संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के खंड क और म में स्थापित है। जो नागरिकों को पूरे भारत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने और किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 अन्य आधारों के साथ–साथ जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। जबकि अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है और विशेष रूप से जन्म या निवास के स्थान पर सार्वजनिक रोजगार तक पहुंच से इन्कार कर देता है। इस सम्बन्ध में चारू खुराना बनाम भारतीय सघं और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्पष्ट रूप से रोजगार के प्रयोजनों के लिए निवास आधारित प्रतिबंधों को स्पष्ट रूप से अंसवैधानिक करार देता है।

निष्कर्ष –

विभिन्न समूहों के बीच विधिता और मुक्त बातचीत राज्यों और देश को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाती है। चुनौतियाँ अभी भी जटिल है और प्रवासियों की मान्यता की कमी की समस्या को पूरी तरह से हल किया जाना शेष है। जब तक हम प्रवासी श्रमिकों को एक बदलते भारत के गतिशील हिस्से के रूप में नहीं देखेगें तब तक प्रवासी श्रमिकों की समस्या को हल करने में सक्षम नहीं होगें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

क्रम	**पुस्तक का नाम**	**लेखक**
1.	लेबर मैनजमेंट एण्ड रिलेशंस	डॉ. पी.पी. आर्य
2.	लेबर प्रॉबलम्स इन इण्डिया	डॉ. ए.एन अग्रवाल
3.	फैक्ट्री लेबर इन इण्डिया	मुख्तार अहमद
4.	इण्डस्ट्रीयल एण्ड सोशल सिक्योरिटीज	एन.जी. अभयंकर
5.	स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज	कालीचरन गुप्ता
6.	प्राबलम्स एण्ड प्रॉस्पैक्टस आफ इण्डस्ट्रीज	राकेश चन्द्र त्यागी
7.	अर्थशास्त्र के सिद्धन्त	डा0 जे0 सी0 पन्त
8.	व्यवसायिक अर्थशास्त्र	डा0 सी0 वी0 गुप्ता
9.	उद्योग एवं श्रम कल्याण	सक्सेना एवं सक्सेना
10.	इंडस्ट्रीयल रिलेशन–दि कमिंग डिकेड	मोहन दास
11.	व्यावसायिक संरचना	डॉ0आर सी अग्रवाल
12.	उद्यमीकरण के मूल सिद्धान्त	रेणु अरोड़ा, विजय कुमार
13.	ग्रामीण और कृषि विकास से बदलेगी अर्थव्यवस्था की तस्वीर	अनिल बंसल
14.	भारतीय अर्थव्यवस्था	रूद्रदत्त एवं सुन्दरम
15.	आर्थिक विकास एवं नियोजन	एस0पी0सिहं